

278
पुलिस आदेश संख्या...../2000
1-58-2000 / प्रशिक्षण

(पुलिस हस्तक नियम 684(ii) एवं पुलिस हस्तक परिशिष्ट-93 अनुलग्नक ए एवं 10)

विषय: एस.एल.सी. प्रशिक्षण के संबंध में ।


आरक्षी को एस.एल.सी. के प्रशिक्षण में भाग लेना एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक है । एस.एल.सी. की प्रशिक्षण अवधि 6 महीनों की है । परिशिष्ट-93 में उन विषयों का उल्लेख है जिनमें आरक्षियों को उक्त अवधि में प्रशिक्षित होना पड़ना है । परन्तु बदले परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि परिशिष्ट में उक्त विषयों के अतिरिक्त उन्हें अन्य समसामयिक विषयों में भी प्रशिक्षित किया जाना अन्यथा वे अपने कार्य निष्पादन में सफल नहीं हो सकेंगे । इस उद्देश्य से प्रशिक्षण के विषयों में विस्तार की आवश्यकता है । परन्तु इस कार्य को सफल नहीं किया जा सकता कि अधिकांश प्रशिक्षुओं की शैक्षणिक योग्यता सातवें वर्ष की है । अतः पाठ्यक्रम को ऐसा होना चाहिये जिनमें उन्हें प्रशिक्षण के विषयों में मौलिक विषयवस्तु की प्राप्ति हो जावे तथा कुछ और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न बनी रहे ।

इसी उद्देश्य से यह पुलिस आदेश निर्गत किया जाता है । इस आदेश से निर्गत होने के पश्चात् इस बिन्दू पर पूर्व में निर्गत जो भी आदेश हैं वे अवज्ञाजनक हो जायेंगे ।

प्रशिक्षण अवधि में अत्यावश्यक कारणों को छोड़कर छुट्टी अनुमान्य नहीं होगी । प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रशिक्षण चलेगा ।

कानून, पुलिस हस्तक नियम, संगठन, प्रशासन, मैप रीडिंग की परीक्षा आदि विषयों में अन्य की गौणिक । बाह्य विषयों की परीक्षा व्यवहारिक होगी ।

अनुलग्नक: ब्लॉक एवं विस्तृत सिलेबस ।


महानिदेशक एवं आरक्षी महानिदेशक
विहार, पटना ।